न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 20／2019

प्रार्थीगण

1. राणसिह पुत्र नारायणसिंह
2. भरतसिंह पुत्र नारायणसिह
3. भगवतकंवर पुत्री नारायणसिंह
4. रामकंवर पत्नि नारायणसिंह
5. हरिसिंह पुत्र रावतसिह जातियान राजपुत निवासीयान मालवाडा तहसील रानीवाडा जिला–जालोर

अप्रार्थीगण

1. डायाराम पुत्र ओखाराम
2. जगदीश कुमार पुत्र वजाराम जातियान माली निवासी फतापुरा हाल निवासी मालवाडा
3. कालुसिह पुत्र मगाजी
4. बलवन्तसिंह पुत्र उखरडाजी जातियान रावणा राजपुत निवासीयान मालवाडा
5. सदीकखां पुत्र जलालखां
6. शेलेष कुमार पुत्र रामप्रित सोहनी जाति सोहनी निवासी हाल मालवाडा
7. टीनेखां पुत्र जलालखां जाति मोयला मुसलमान निवासी मालवाडा
8. मदनसिंह पुत्र भीमसिंह जाति राजपुत निवासी मालवाडा
9. गणेशा पुत्र मनरूपा
10. चौथी पुत्री केवाराम नाबालिंग जरिये कुदरती वली माता सुबटीदेवी पत्नि केवाराम
11. दरगा पुत्र सोना
12. दिनेश पुत्र सोना
13. दिनेश पुत्र सोना
14. नेथीराम पुत्र सोना
15. नरपत पुत्र केवाराम
16. नोनजी पुत्र केवाराम नाबालिंग जरिये कुदरती वली माता सुबटीदेवी पत्नि केवाराम
17. मृतक पुनमा पुत्र वेना के कायम मुकाम वारीसानः–
    17／1. मंजु पुत्री पुनमा निवासी मालवाडा
18. प्रतापा पुत्र मनरूपा
19. प्रेमा पुत्र मनरूपा
20. पिंका पुत्री केवाराम नाबालिंग जरिये कुदरती वली माता सुबटीदेवी पत्नि केवाराम
21. भरत पुत्र केवाराम नाबालिंग जरिये कुदरती वली माता सुबटीदेवी पत्नि केवाराम
22. मफाराम पुत्र रणछोडा
23. [illegible] पुत्र तलका
24. देवीदेवी पत्नि तलका

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:47:49 IST
Reason: SelfAttested

25. लवगोदेवी पत्नि रणछोडा
26. विमला पुत्री केवाराम नाबालिंग जरिये कुदरती वली माता सुबटीदेवी पत्नि केवाराम
27. सणगीदेवी पत्नि तलका
28. सुबटी पत्नि केवाराम
29. हंजारीराम पुत्र तलका
30. होती पुत्र वेना जातियान जांगीड ब्राहण निवासीयान वाडा तहसील रानीवाडा
31. मृतक रणजीतसिंह पुत्र गेनसिंह के कायम मुकाम वारीसानः—
    31/1. उत्तमसिंह
    31/2. गोदसिंह
    31/3. नरेन्द्रसिंह पिसरान रणजीतसिंह
    31/4. पतकंवर पत्नि रणजीतसिंह
32. सोहनसिह पुत्र गेनसिंह
33. खंगारसिंह पुत्र डुंगरसिह
34. नरपतसिह पुत्र डुंगरसिह
35. मगसिह पुत्र डुंगरसिंह
36. वीरसिंह पुत्र डुंगरसिंह जातियान राजपुत निवासीयान मालवाडा
37. शाखा प्रबंधक मरूधरा ग्रामीण बैक शाखा मालवाडा
38. शाखा प्रबंधक आई. सी. आई. सी. आई. बैक शाखा रानीवाडा
39. शाखा प्रबंधक एस. बी. आई. शाखा रानीवाडा
40. भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :—

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
2. अप्रार्थी संख्या 40 राजपेरोकार उपस्थित।

निर्णय

दिनांक — 21.04.2022

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि मौजा मालवाडा तहसील रानीवाडा में प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 114 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नबंर 115 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नबंर 116 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नबंर 117 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नबंर 118 रकबा 3.60 हैक्टर, खसरा नबंर 121 रकबा 0.12 हैक्टर की आई हुई है। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण [illegible] से दर्ज है। प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजीयान के पडौस में [illegible] की आबादी भुमि आई हुई है। पडौस की आबादी भुमि की खसरा नबंर 113 [illegible] है, जिसकी राजस्व रेकर्ड में ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:47:49 IST
Reason: SelfAttested

पंचायत मालवाडा के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त आबादी भुमि में प्रार्थीगण की खातेदारी के लगतो–लागत अप्रार्थी संख्या 1 से 8 तक काबिज है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 8 तक उक्त प्रार्थी की आराजी की पैमाईश करने में अडचन पैदा करते है। तथा पडौस में उत्तरी दिशा में अप्रार्थी संख्या 9 से 30 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 122 रकबा 0.10 हैक्टर व पडौस में पश्चिमी दिशा में अप्रार्थी संख्या 33 से 36 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 103 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नबंर 109 रकबा 0.83 हैक्टर, खसरा नबंर 110 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नबंर 111 रकबा 0.56 हैक्टर व पडौस में उत्तर पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 31 व 32 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 125 रकबा 0.10 हैक्टर तथा पडौस में उत्तरी दिशा में अप्रार्थी संख्या 31 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 119 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नबंर 120 रकबा 0.26 हैक्टर की आई हुई है।

2. प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी खसर नबंर 114 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नबंर 115 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नबंर 116 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नबंर 117 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नबंर 118 रकबा 3.60 हैक्टर, खसरा नबंर 121 रकबा 0.12 हैक्टर व खसरा नबंर 112, 113 जिस पर प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी के लगतो–लागत सीमाकंन बिन्दु पर अप्रार्थी संख्या 1 से 8 का कब्जा है तथा अप्रार्थी संख्या 9 से 30 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 122 रकबा 0.10 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 33 से 36 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 103 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नबंर 109 रकबा 0.83 हैक्टर, खसरा नबंर 110 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नबंर 111 रकबा 0.56 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 31 से 32 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 125 रकबा 0.10 हैक्टर तथा अप्रार्थी संख्या 31 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 119 रकबा 0.18 हैक्टर, ,खसरा नबंर 120 रकबा 0.26 हैक्टर के सीमाज्ञान को लेकर विवाद है। अप्रार्थी संख्या 1 से 36 प्रार्थीगण की उक्त आराजीयान के सीमा का विवाद कायम रखना चाहते है तथा इस विवाद के चलते प्रार्थी हरीसिंह ने उनकी आराजी खसरा नबंर 7, 8, 9, 10, 84, 114, 115, 116, 117, 118, 121 के माठ के विवाद को खत्म करने के लिये तहसीलदार रानीवाडा को भुमि पैमाईश करवाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 20.5.2019 पेश किया था। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा ने प्रार्थना पत्र संख्या 23 क्रमांक 18 दिनांक 21.5.2019 पर दर्ज कर हल्का पटवारी मालवाडा को पैमाईश करने का आदेश जारी किया। उक्त आदेश की पालना में हल्का पटवारी मालवाडा दिनांक 12.7.2019 को मौके पर जाकर हल्का पटवारी द्वारा पैमाईश शुरू की तो मौके पर मामला विवादग्रस्त होने से पैमाईश नहीं की गई। इसलिये हल्का पटवारी मालवाडा द्वारा दिनांक 12.7. 2019 को विवादीत आशय की मौका फर्द (पैमाईश फर्द) बनाकर तहसीलदार रानीवाडा को पेश कर दी। उक्त पैमाईश नहीं होने के कारण मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह कायम नहीं करने की स्थिति में मौके पर विवाद की स्थिति कायम है। इसलिए विवाद को खत्म करने के लिए स्थाई सीमा चिन्ह कायम किया जाना आवश्यक है। उक्त आराजी की सीमा को लेकर मौके पर भारी विवाद है। अप्रार्थी संख्या 1 से 36 प्रार्थीगण की आराजी की माठ पर विवाद बनाकर हमारी आराजी पर कब्जा करना चाहते है। जबकि प्रार्थी अपनी आराजी का सीमाकंन करवा कर स्थाई कंटीले तारो व पत्थर के पीलर बनाकर स्थायी सीमा कायम करना चाहता है। इस प्रकार प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 36 के बीच उक्त आराजीयान के सीमाज्ञान को लेकर भारी विवाद होने से उक्त आराजीयान का सीमाज्ञान करवा कर वास्तविक व स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित करवा कर उस स्थाई तौर पर स्थाई पत्थर गडढी करवाया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है। जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से पेश है।

3. अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर [illegible] है कि मौजा मालवाडा तहसील रानीवाडा में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयान खसरा नबंर 114 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नबंर 115 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नबंर 116 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नबंर 117 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नबंर 118 रकबा 3.60 हैक्टर, खसरा नबंर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:47:49 IST
Reason: SelfAttested

121 रकबा 0.12 हैक्टर की पैमाईश करवा कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गडढी करने हेतु कमेठी गठित कर स्थाई पत्थर गडढी करवाने हेतु तहसीलदार रानीवाडा पर न्याय हित में आदेश फरमावें।

4. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 से 39 की ओर से बाद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 40 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जवाब पेश किया गया।

5. अप्रार्थी संख्या 40 तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जवाब पेश किया गया जिनके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रानीवाडा के आदेश क्रमांक/18 दिनांक 21.05.2019 से पैमाईश करने हेतु आदेश जारी किया जिस पर दिनांक 12.07.2019 को पटवारी हल्का मालवाडा द्वारा खातेदार हरिसिंह व इनके पुत्र हड़मतसिंह उपस्थित मिले। पैमाईश खसरा संख्या 114 व 115 आबादी की सीमा पर स्थित होने से मौके पर विवाद है जिस कारण उक्त पैमाईश नही की गई, इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो सही है।

6. पत्रावली मे पेश प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने व अप्रार्थी संख्या 40 के जवाब व बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 12.07.2019 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाया गया। तथा तहसीलदार रानीवाडा ने अपने जवाब व बहस में खसरा नम्बर 114, 115 आबादी की सीमा पर स्थित होने से मौके पर विवाद होना स्वीकार किया है। व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान मौका फर्द में भी मौके पर कब्जा काश्त रकबा पर विवाद होना प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः मौजा मालवाडा खसरा नम्बर 114, 115, 116, 117, 118, 121 के मध्य माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

–: आदेश :–

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद मालवाडा पटवार मण्डल मालवाडा के खसरा नम्बर 114, 115, 116, 117, 118, 121 रकबा क्रमश 0.07, 0.06, 0.01, 0.09, 3.60, 0.12 हैक्टेयर के आराजी की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियों नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 21.04.2022 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:47:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला–जालोर